झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग।

सं॰सं॰–8/ज॰ सं॰(नि॰) सु॰परि॰–06/2013– /राँची,दिनांक–

संकल्प

श्री दीपनारायण मण्डल, कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, जमशेदपुर के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक–732 दिनांक–13.05.14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। उक्त विभागीय कार्यवाही में मुख्य अभियंता, सुवर्णरेखा बहुद्धेशीय परियोजना चांडिल कॉम्पलेक्स जमशेदपुर को जाँच पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। जाँच पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन से असहमत होते हुए सरकार द्वारा पुनः इस मामले में नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

2) उक्त निर्णय के आलोक में श्री दीपनारायण मण्डल के विरूद्ध पुनः सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम–55 के तहत् विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत, भा॰प्र॰से॰ विभागीय जाँच पदाधिकारी को संचालन पदाधिकारी तथा अधीक्षण अभियंता, सुवर्णरेखा नहर अंचल, जमशेदपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3) विभागीय संकल्प ज्ञापांक–732 दिनांक–13.05.14 की अन्य कण्डिकायें एवं शर्तें यथावत रहेंगी।

4) उक्त प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति अनुबंध की प्रति के साथः– श्री अशोक कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा॰ प्र॰ से॰, टी॰ ए॰ डिवीजन बिल्डिंग गोलचक्कर धुर्वा राँची / अधीक्षण अभियंता, सुवर्णरेखा नहर अंचल, जमशेदपुर/ श्री दीपनारायण मण्डल, कार्यपालक अभियंता, सुवर्णरेखा नहर प्रमण्डल, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के उप सचिव।